संख्या-01/2016/आर-5175/26-3-2015-4(154)/2005टी.सी।

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,

अनुसचिव,

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक

जनजाति विकास,

उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 05 जनवरी, 2016

विषयः-संविधान की धारा-275(1) के अन्तर्गत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों तथा एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय के छात्रों हेतु सोलर लैम्प कीव्यवस्था हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-11015/5(11)/2015 एस.जी.।, दिनांक-17.09.2015 के क्रम में निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-265/42/ज.जा.वि./2015-16, दिनांक-01.12.2015 के सन्दर्भ में चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-81 के अन्तगत जनजाति उपक्षेत्र विकास योजनान्तगत स्थापित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों एवं एकलब्य माडल आवासीय विद्यालयों में सोलर लैम्प लगाये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय रूपया-20.00 लाख (रूपया बीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नवत् शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की अनुमति प्रदान करते हैः-

(1) निदेशक, जनजाति विकास द्वारा सोलर लालटेन लगाने का कार्य यू0पी0नेडा एजेन्सी से कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में नियमानुसार जो शासकीय दर निर्धारित है उसी के अनुसार निदेशक, जनजाति विकास द्वारा एजेन्सी को भुगतान किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता होने पर निदेशक, जनजाति विकास उत्तरदायी होगें।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार उसी कार्य के लिये किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(3)उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को प्रत्येक माह में उपलब्ध कराये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी.एल.ए./बैंक/डिपाजिट खाते में जमा नहीं है।

2- उपर्युक्त धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान सं0-81 के अंतर्गत मुख्य लेखा शीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तगत जनजातियों के कल्याण हेतु माडल विद्यालय-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

<u>पृ0 संख्या-01/2016/आर-5175(1)/26-3-2015 तद्दिनांकः</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- प्रभारी अधिकारी, सोलर लालटेन, यू0पी0 नेड़ा।
4- समाज कल्याण, बजट प्रकोष्ठ अनुभाग।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- केन्द्रीय संसाधन अनुभाग/गार्डफाइल।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।